राजस्व लोक अदालत केम्प खन्नौड़ा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 58 / 2018

अपीलाण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. सुलेमान खां पुत्र गांधी खां जाति मुसलमान निवासी सिमरखिया		1. रेहमान खां पुत्र कालू खां 2. मले खां पुत्र कालू खां 3. सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गापुरा

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत पाटोदी</u>

निर्णय दिनांकः–19.06.2017

आदेश

अपीलांट के द्वारा ग्राम पंचायत दुर्गापुरा के खसरा नंम्बर 149 रकबा 80.06 बीघा के खातेदार गांधी खां, कालू खां पिसरान हकीम खां की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का बागावास द्वारा दायर नामान्तरण संख्या 146 की अपील कर निवदेन किया कि अपीलांट के पिता गांधी खां एवं उनके भाई कालू खां दो सगे भाई थे। इन दोनो की मृत्यु सवत् 2020 एवं 2026 होने पर दोनों के वारिसदारो का नामान्तरण संख्या 146 की कार्यवाही की गई । जिसमें रहमान खा, सुलेमान पिसरान कालू खां मले खां पुत्र गांधी खां दर्ज किए गये जबकि गांधी के वारिस एक पुत्र सुलेमान खां एवं कालू खां के दो पुत्र रेहमान, मले खां है। अतः पटवारी हल्का द्वार नामान्तरण संख्या 146 गें सुलेमान खां पुत्र गांधी खां की बजाय मले खां पुत्र गांधी खां एवं कालू खां के वारिसदार रहमान खां, मले खां पुत्र कालू की बजाय रहमान खां सुलेमान खां पिसरान कालू खां गलत दर्ज किए गये।

अपीलांट, रेस्पोड़ेट के बयान कलमबंद किए गये। सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गापुरा एवं मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। पटवारी हल्का बागावास, निरीक्षक बागावास, तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार गांधी खां के वारिसदार सुलेमान खां पुत्र गांधी खां एवं कालू खां के वारिसदार रहमान खां, मले खां पिसरान कालू खां सही है।अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बयान मजमें आम पूछताछ पटवारी निरीक्षक, तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपील स्वीकार योग्य है।

अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर ग्राम दुर्गापुरा के खसरा नंबर 149 रकबा 80.06 में रहमान खां सुलेमान खां पिसरान कालू खां मले खां पुत्र गांधी खां को अपास्त किया जाता है एवं रहमान खां,मले खां पिसरान कालू खां सूलेमान पुत्र गांधी खां के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रेकर्ड में दूरस्त करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत 2018 न्याय आपके द्वारा खन्नौड़ा खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....